राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालयः— मुख्य प्रबन्धक,जयपुर आगार
परिवहन मार्ग,चौमू हाउस, जयपुर 302001.
Email- rsrtc.cmjpr@yahoo.com

क्रमांकः—एफ/ज.आ./मु.प्र./सामा./26/730 दिनांकः— 9/2/26

निविदा सूचना

जयपुर आगार में मुख्य प्रबन्धक एवं प्रबन्धक (संचालन/यातायात) के कार्यालय एवं दोनो कार्यशाला परिसर एवं वहां पर स्थित शौचालय/स्नान घर में सफाई कार्य हेतु निविदायें आमन्त्रित की जाती है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः—

S.N.	Description	EST.COST
1	जयपुर आगार में मुख्य प्रबन्धक एवं प्रबन्धक (संचालन/यातायात) के कार्यालय एवं दोनो कार्यशाला परिसर एवं वहां पर स्थित शौचालय/स्नान घर में सफाई कार्य	4,00,000/—
2.	निविदादाता द्वारा कार्य करने की दर	

1. साफ सफाई एवं झाडू का कार्य प्रतिदिवस करना होगा।
2. सेवा प्रदाता के पास संबंधित निविदा में कार्य का उचित अनुभव होना चाहिए।
3. सफाई कार्य हेतु प्रतिदिन कम से कम चार सफाईकर्मी उपलब्ध कराने होगें।
4. साफ /सफाई व धुलाई से तात्पर्य मुख्य प्रबन्धक एवं प्रबन्धक (संचालन/यातायात) के कार्यालय एवं दोनो कार्यशाला परिसर एवं वहां पर स्थित शौचालय/स्नान घर आदि का सफाई कार्य है।
5. कार्यालय में नियमित साफ/सफाई, झाडू, पोछा प्रत्येक दिवस लगाना होगा साथ ही झाडू पोछा संबंधित समस्त सामग्री अनुबंधकर्ता/फर्म की होगी निगम किसी प्रकार का देय नही होगा।
6. साफ सफाई करते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए निगम प्रशासन उत्तरदायी नही होगा।
7. ई.एस.आई एवं ईपीएफ काटौती एवं भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं अनुबंधकर्ता फर्म की होगी। यदि कोई प्रपत्र अथवा पंजीयन सम्बन्धित द्वितीय पक्षकार के दायित्व में नहीं हो तो इसके लिए द्वितीय पक्षकार एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।
8. अनुबंधकर्ता फर्म के द्वारा अनुबंध की शर्तो का उल्लघंन करने तथा आवटित कार्य सन्तोषप्रद न पाये जाने पर अनुबंध समाप्त करते हुये प्रतिभु राशि जब्त की जा सकती है।
9. निविदादाता को 10,000/ रूपये धरोहर राशि निविदा आवेदन के समय निगम कोष में जमा करानी होगी जिसे नियमानुसार लौटा दिया जायेगा।
10. द्वितीय पक्षकार अपने सफाईकर्मीयों को देय भुगतान में से नियमानुसार भविष्य निधी एवं राज्य कर्मचारी बीमा राशि काट कर सम्बंधित विभाग में जमा करायेगे एवं इसके जमा कराने का चालान इस कार्यालय में प्रस्तुत करने पर आगामी माह के देयको का भुगतान किया जावेगा।
11. द्वितीय पक्षकार को देय भुगतान में से नियमानुसार समस्त करो की कटौती की जायेगी।
12. निविदा अनुबन्ध एक वर्ष के लिये किया जायेगा परन्तु द्वितीय पक्षकार का कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर प्रतिभुति राशि जब्त कर ली जायेगी।
13. भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत करने होगे। जिनके प्रमाणिकरण उपरान्त ही राशि का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
14. कार्य के दौरान हुई किसी भी दुर्घटना में द्वितीय पक्षकार के आदमी को हुई हानि/चोट/मृत्यू आदि के लिये द्वितीय पक्षकार स्वयं जिम्मेदार होगा। निगम प्रशासन किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
15. द्वितीय पक्षकार को बिना अनुमति/ कारण बताये कार्य से अनुपस्थित रहने पर 500/— रुपये प्रति दिवस वसूले जायेंगे।

16. किसी विशेष परिस्थिती के कारण कार्य निलंबित रहने के कारण अनुबन्धकर्ता का यदि अतिरिक्त व्यय होता है तो उसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
17 सफल निविदादाता के कार्मिकों द्वारा निगम सम्पत्ती को हुए नुकसान की जिम्मेदारी स्वय ठेकेदार की होगी एवं निगम को हुई क्षति का पुर्नभरण ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
18 सफल निविदादाता को 20,000/– रूपये सुरक्षा/प्रतिभू राशि तुरन्त निगम कोष में जमा करानी होगी जिसे अनुबंध अवधि समाप्ति बाद लौटा दिया जायेगा जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा।
19. निगम को उक्त अनुबंध बिना नोटिस दिए समाप्त करने का अधिकार होगा परन्तु फर्म द्वारा अनुबंध समाप्त करने बाबत एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा प्रतिभू, राशि जब्त कर ली जायेगी।
20. निविदा दाता को दरें साफ शब्दों में देनी होगी कटिंग या किसी प्रकार की ओवर राइटिंग की गई दर स्वीकार नहीं की जावेगी
21. यदि अनुबंधकर्ता द्वारा उपरोक्त सफाई सम्बंधी कार्य निर्धारित समयावधि में या निगम की मांग के अनुसार नहीं करता है एंव निगम को अपना कार्य सुचारु रुप से चलाने हेतु यदि किसी अन्य फर्म से उक्त कार्य करवाना पड़े तो अन्तर राशि की कटौती उसके बकाया भुगतान या सुरक्षा राशि से कर ली जावेगी।
22- अनुबंधकर्ता द्वारा किये गये सफाई सम्बंधी कार्य के बदले भुगतान 30 कार्य दिवस में किया जावेगा इस से अधिक देरी होने पर ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

23- code of integrity

1 आर ० टी० पी० पी० एक्ट के प्रावधानों एवं वर्णित नियमों के अनुसार
2. सेवा के दोरान शिकायत निवारण आर ० टी० पी० पी० एक्ट के प्रावधानों एवं वर्णित नियमों के अनुसार

प्रथम अपीलीय अधिकारी का पद नाम श्रीमान कार्यकारी निदेशक (यांत्रिक)
द्वितिय अपीलीय अधिकारीका पद नाम श्रीमान प्रबंध निदेशक रा.रा.प.प निगम

24. अनुबंधकर्ता द्वारा निविदा से सम्बंधित कार्य किसी को सब्लेट नहीं किया जा सकेगा। ऐसा पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही कि जा सकेगी।
25. उक्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निगम को होगा।
26. सफल निविदा कर्ता को कार्यादेश जारी होने के 07 दिवस में निर्धारित्त प्रोफार्मा में कार्य अनुबंध करना होगा एवं सफाईकर्मी उपलब्ध करवाने होगे. अन्यथा प्रतिभू/धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
27. अनुबंधकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले सफाईकर्मी कर्मचारी सदव्यवहारी एवं ईमानदार होंगे तथा इनके आचरण एवं कार्य हेतु अनुबंधित फर्म पूर्ण उत्तरदायी रहेगी। यदि फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता की जाती है तो निगम द्वारा इस सम्बंध में नोटिस जारी करने पर फर्म को तुरन्त सम्बंधित कर्मी को हटाना होगा तथा अनुबंधित फर्म के कर्मचारी के किसी कार्य से निगम को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है तो उसकी वसूली सम्बंधित फर्म से की जावेगी।
28. अनुबंध के सबंध मे न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर जिले का होगा।
29 अनुबंध की शर्तो की पालना नही करने व कार्य सन्तोषप्रद नही पाये जाने पर फर्म/अनुबंधकर्ता को ब्लैक लिस्टैण्ड घौषित कर निगम कोष में जमा सम्पूर्ण धरोहर राशि निगम कोष में जब्त कर ली जावेगी।

मुख्य प्रबंधक
जयपुर आगार।

अनुबधकर्ता ठेकेदार के हस्ताक्षर मय मोहर